

## **सराहनीय कार्य/प्रेस नोट दिनांक 09-05-2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

**एस0ओ0जी, सर्विलांस टीम एवं थाना ढेबरूआ पुलिस ने प्रदीप की हत्या व लूट का किया अनावरण एवं 07 अन्तर्राष्ट्रीय लुटेरों को बम, तमंचा, कारतूस, कार व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।**

दिनांक 01-05-2021 की रात्रि समय 21:30 बजे श्री रामदयाल यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी खैरी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सूचना दिया गया की मेरे पुत्र प्रदीप को अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया जिससे प्रदीप की मृत्यु हो गई है तथा उसका साढ़ू महेश घायल हो गया है । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे । पुलिस द्वारा महेश को दवा-इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया । उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/21 धारा 302,394 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू किया गया ।

उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्री अशोक राय, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा तीन टीमों को जिसमें एस0ओ0जी0, सर्विलांस टीम तथा थाना ढेबरूआ पुलिस को श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में लगाया गया ।

दिनांक 08-05-2021 को रात्रि 10:30 बजे उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम, एवं सर्विलांस टीम को मुखबीर द्वारा सूचना दिया गया कि मुडिला नहर बाग के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं । उक्त सूचना से उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, ने श्री तलहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ को अवगत कराया जो पचपेड़वा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तीनों पुलिस टीम सयुक्त रूप योजना बनाकर पर्याप्त पुलिस बल के साथ अलग-अलग दिशाओं में विभाजित होकर मुडिला बाग की तरफ रवाना हुए । संदिग्ध व्यक्तियों ने जब अपने आप को चारों तरफ पुलिस से धिरा हुआ पाए तो पुलिस टीम पर अन्धा-धुन फायर कर भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा बिना किसी नुकसान के वहां मौजूद सभी 07 लोगों को दिनांक 08-05-2021 समय रात्रि 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया की हम लोग पुलिस को चारों तरफ से देखकर घबरा गए एवं गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायर झोंक दिए, पुलिस ने कट्टा, कारतूस, कार, मोटरसाइकिल मोबाइल के सम्बन्ध में पूछा तो अभियुक्तगणों ने बताया कि कट्टा कारतूस रफिकुल्ला का है मोटरसाइकिल दिनांक 01-05-2021 को हम लोगों ने प्रदीप की हत्या कर लूटा था, जिसे रफिकुल्ला ने चाकू मारा । हमलोग नेपाल के कृष्णानगर के मनी एक्सचेन्ज सेन्टर जो अमन होटल के पास है को लूटने की फिराक में थे लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हमारी योजना बेकार हो गई । उक्त अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया की कार में बम है जिसे पुलिसबल द्वारा सावधानीपूर्वक कब्जे में लिया गया है । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ढेबरूआ पर निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत किए गए ।

- 1- मु0अ0सं0 95/21 धारा 302,394, 412,120 बी भादवि0 थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । (सभी 07 अभियुक्तों के विरुद्ध)
- 2- मु0अ0सं0 99/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । (साबीर के विरुद्ध)
- 3- मु0अ0सं0 100/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । ( सैयद के विरुद्ध)
- 4- मु0अ0सं0 101/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । ( रफिकुल्ला के विरुद्ध)
- 5- मु0अ0सं0 102/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर । ( रफिकुल्ला के विरुद्ध)
- 6- मु0अ0सं0 103/21 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर ।( शानू उर्फ आफाक के विरुद्ध)
- 7- मु0अ0सं0 104/21 धारा 307 भादवि0 थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर ।( साबिर व सैयद के विरुद्ध)

## नाम पता अभियुक्तगण-

- 1-सैयद अली उर्फ बब्लू पुत्र मुन्नन निवासी मदरहिया थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2-रामदेव विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी भरौली थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- रफिकुल्ला खान पुत्र अब्दुला खान निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4-साबीर पुत्र रोजन निवासी वार्ड नं- 09 चरपुरवा कृष्णानगर कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल ।
- 5-पाण्डेय उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र मो0 इशा निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6-शानू उर्फ आफाक अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7-बब्लू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र हकिकुल्लाह निवासी दुधवनिया बुजुर्ग थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

## विवरण बरामदगी-

- 1- मृतक प्रदीप का सीम, (अभियुक्त सैयद अली के मोबाइल में)
- 2- घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल रजि0 नं0 DL 65 AQ 8395 (पैशन प्रो)
- 3- घटना में लूटी गई मोबाइल एक (महेश का )
- 4- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल रजि0 नं0 UP 55 J 6493 (होण्डा शाईन )
- 5- घटना में प्रयुक्त चाकू एक अदद
- 6- एक अदद बम जिन्दा, तीन अदद तमन्चा, दो अदद जिन्दा कारतूस व दो फायर कारतूस ।
- 7- एक अदद कार रजि0 नं0 UP 35 AH 5317 (हुन्डई I-20)

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री तहसीलदार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3 . उ0नि0 विक्रम अजीत राय, प्रभारी चौकी बढनी, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. हे0का0 राजीव शुक्ला एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
5. हे0का0 आनन्द प्रकाश एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
6. हे0का0 रवीन्द्र कुमार यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
7. आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी सर्विलांस टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
8. आरक्षी अखिलेश यादव एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
9. आरक्षी मृत्युंजय कुशवाहा एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
10. आरक्षी पवन तिवारी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
11. आरक्षी वीरेन्द्र त्रिपाठी एस0ओ0जी0 टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

उपरोक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु रू0 नकद 50,000/- से पुरस्कृत किया गया ।

**प्रेस नोट दिनांक 09.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

**कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।**

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । इस क्रम में आज दिनांक 09-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 919 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 1,88,300/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

**सराहनीय कार्य दिनांक 09-05-2021**

**यातायात अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।**

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 09-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 947 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 251 वाहनों का चालान कर ₹ 2,49,800/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

**प्रेस नोट दिनांक 09.05.2021**

**थाना गोलहौरा पुलिस ने किया 01 अभियुक्त को लाक डाउन उल्लंघन में गिरफ्तार ।**

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस, अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चंद्र पांडेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 09.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा श्री अनिल कुमार पांडेय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय से लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर मु0अ0सं0 53/21 धारा 269/270/188 भादवि0 व 3 महामारी अधिनियम व 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम से सम्बन्धित 01 नामजद अभियुक्त लाल जी चौरसिया पुत्र बुधई ग्राम जमलाजोत थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- लाल जी चौरसिया पुत्र बुधई ग्राम जमलाजोत थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव थाना गोलहौरा , जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- आरक्षी आशुतोष यादव थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट- दिनांक 09.05.2021**

**01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।**

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश निर्देश के क्रम में श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में व श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में म0उ0नि0 श्रीमती मीरा चौहान हमराह हे0का0 राघव प्रसाद यादव व का0 अमित कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 79/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लाला उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र कमला प्रसाद कहार, निवासी कपिया नकटी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को आनन्द नगर चौराहा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सि0नगर भेजा गया ।

**अभियुक्त का विवरण –**

लाला उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र कमला प्रसाद कहार, सा0 कपिया नकटी थाना इटवा जनपद सि0नगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम विवरण-**

1. म0उ0नि0 मीरा चौहान
2. हे0का0 राघव प्रसाद यादव
3. का0 अमित कुमार

**प्रेस नोट- दिनांक 09.05.2021**

**कालर की सूचना पर पी0आर0वी0-1508 ने की घायल की मदद ।**

आज दिनांक 09-05-2021 को समय-15:35 बजे कॉलर - कन्हैया जी के द्वारा सूचना दिया गया कि ककरही पुल के पास 02 मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ है । इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए 03 मिनट के अन्दर पी0आर0वी0-1508 द्वारा मौके पर पहुँच कर देखा गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम-अनिल चौहान पुत्र-धर्मनाथ चौहान ग्राम-बंजरहि थाना- बांसी के सर पर चोट लगने की वजह से कान के रास्ते खून आ रहा था । जिसको बिना किसी प्रकार की देर किए उपरोक्त घायल व्यक्ति को को अपनी PRV-1508 के द्वारा CHC जोगिया लाकर इलाज के लिए भर्ती किया गया तथा उनके परिजनों को जरिये मोबाइल से बात कर घटना से अवगत कराते हुए CHC जोगिया बुलवाया गया जिसका इलाज चल रहा है। इस घटना का आम जनमानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा किया जा रहा है ।

**इयूटी पर तैनात कर्मचारी गण-**

- 1-हे0का0- अशोक कुमार
- 2-आरक्षी- पुजारी
- 3-चालक आ0- संतोष कुमार पाण्डेय